छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचादश सत्र अंक-16

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 08 (कुल 07) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री संतोष उपाध्याय अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित एवं 47 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2017 के लिए “उत्कृष्ट विधायक”, “उत्कृष्ट जागरूक विधायक”, “उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार” एवं “उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर” के चयन हेतु गठित समिति ने निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है :-

<u>उत्कृष्ट विधायक के रूप में</u> :

1	सत्ता पक्ष से	-	**माननीय श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे**
2	प्रतिपक्ष से	-	**माननीय श्री मोहन मरकाम**

<u>उत्कृष्ट जागरूक विधायक के रूप में</u> :

माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा

<u>उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में</u> :

दैनिक समाचार पत्र "नई दुनिया" के - **श्री संजीत कुमार**

<u>उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में</u> :

स्वराज एक्सप्रेस के - **श्री आशीष तिवारी, संवाददाता**

- **श्री प्रकाश सिंह यादव, कैमरामेन**

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को बधाई दी।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि होली के अवसर पर मंगलवार, 27 फरवरी, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल लॉन में रंग गुलाल व होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित है ।

इस अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन पश्चात् "फाग" भी आयोजित है।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए) तथा 30वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए) **पटल पर रखे।**

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 18 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने रायपुर नगर निगम द्वारा ग्राम संकरी में सॉलिडवेस्ट मैनेजमेंट के तहत ट्रेचिंग ग्राउंड बनाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री संतराम नेताम (अनुपस्थित) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
3.	श्री देवजी भाई पटेल,
5.	सर्वश्री देवजी भाई पटेल, बघेल लखेश्वर, बृहस्पत सिंह,
6.	श्री मोतीलाल देवांगन
7.	श्री शंकर ध्रुवा
8.	श्री मोतीलाल देवांगन
9.	श्री देवजी भाई पटेल

10. डॉ. विमल चोपड़ा,
11. डॉ. विमल चोपड़ा, श्री राजेन्द्र कुमार राय,
12. श्री देवजी भाई पटेल,
13. श्री अमरजीत भगत,
14. श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम,
15. श्री बृहस्पत सिंह,
16. सर्वश्री गिरवर जंघेल, टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल,
17. श्री मोतीलाल देवांगन
18. श्री मोतीलाल देवांगन,

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 27 फरवरी, 2018 को उन्होंने सदन में 10 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री बघेल लखेश्वर
(3) श्री संतराम नेताम
(4) श्री अरूण वोरा
(5) श्री दीपक बैज
(6) श्री दलेश्वर साहू
(7) श्री शिवरतन शर्मा
(8) श्री टी.एस.सिंहदेव
(9) श्री अमरजीत भगत
(10) श्री भूपेश बघेल

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 31, बेलतरा से निर्वाचित सदस्य श्री बद्रीधर दीवान द्वारा फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी, 2018 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ. खिलावन साहू, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

11. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोकसभा के सदस्य श्री लखनलाल साहू अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिय :-
श्री टी.एस.सिंहदेव,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री नवीन मारकण्डेय।

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

13. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री संतोष बाफना, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा, डॉ. विमल चोपड़ा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 27.11.2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

14. नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 (1) के परन्तुक के अंतर्गत माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 06 फरवरी, 2018 को को उन्होंने विचारोपरान्त कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है।

15. अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के संपादक श्री सुनील कुमार एवं संवाददाता श्री शशांक तिवारी के विरूद्ध माननीय सदस्य श्री देवजी भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 22.12.2017 पर सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के संपादक श्री सुनील कुमार एवं संवाददाता श्री शशांक तिवारी से प्राप्त पृथक-पृथक स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों पर विचार कर मैंने इस विशेषाधिकार भंग की सूचना को कक्ष में अग्राह्य कर, प्रकरण को समाप्त कर दिया है।

(2) माननीय मंत्री श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव एवं माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 08 अगस्त, 2017 जिसके संबंध में दिनांक 19 दिसंबर, 2017 को सदन में माननीय मंत्री श्री अजय चन्द्राकर एवं माननीय मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया था, इस पर मैंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखते हुए सदन को यथा समय सूचित करने का उल्लेख दिनांक 21 दिसंबर, 2017 को सदन में किया था। प्राप्त विशेषाधिकार भंग की सूचना पर माननीय सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव एवं माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल से प्राप्त स्पष्टीकरण के तथ्यों पर विचारोपरांत मैंने विशेषाधिकार भंग की सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

16. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए क्रमशः नौ-नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं,

चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमश: नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, तद्नुसार निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

लोक लेखा समिति

1. श्री विद्यारतन भसीन
2. श्री संतोष बाफना
3. श्री अवधेश सिंह चंदेल
4. श्री देवजी भाई पटेल
5. श्री रोशनलाल
6. श्री बघेल लखेश्वर
7. श्री भोलाराम साहू
8. श्री टी.एस.सिंहदेव
9. श्री उमेश पटेल

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री शिवरतन शर्मा
2. डॉ. खिलावन साहू
3. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
4. श्री चुन्नीलाल साहू(खल्लारी)
5. श्री अशोक साहू
6. श्री संतराम नेताम
7. श्री गिरवर जंघेल
8. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
9. श्री सत्यनारायण शर्मा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री संतोष उपाध्याय
3. श्री श्रीचंद सुंदरानी
4. श्री श्यामबिहारी जायसवाल
5. श्री नवीन मारकण्डेय
6. श्री बृहस्पत सिंह
7. श्री लालजीत सिंह राठिया
8. श्री अरूण वोरा
9. श्री मनोज सिंह मण्डावी

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए नौ सदस्य ही निर्वाचित किए जाना हैं, तद्नुसार निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूंः-

1. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
2. श्री रामलाल चौहान
3. डॉ. सनम जांगडे
4. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
5. डॉ. खिलावन साहू
6. श्रीमती अनिला भेंड़िया
7. श्री शंकर ध्रुवा
8. श्री श्यामलाल कंवर
9. श्री पारसनाथ राजवाड़े

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

18. नाम-निर्देशित समितियों का गठन

मानानीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1), 208 के उप नियम (1), 213, 217 के उप नियम (1), 224 के उप नियम (2), 225 के उप नियम (1), 231 के उप नियम (2), 232 के उप नियम (1), 233 के उप नियम (1), 234-ग, 234-घ के उप नियम (2) एवं 234-ज के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2018-2019 की अवधि में सेवा करने के लिए तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं:-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री
4. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री
5. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
6. श्री भूपेश बघेल
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. श्री कवासी लखमा

विशेष आमंत्रित सदस्य:-

1. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
2. श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री
3. श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री
4. श्री खेलसाय सिंह
5. श्री धनेन्द्र साहू

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री अशोक साहू
2. श्री रामलाल चैहान

3. श्रीमती सरोजनी बंजारे
4. श्री विद्‌यारतन भसीन
5. श्री अमरजीत भगत
6. श्री मोतीलाल देवांगन
7. श्री अरूण वोरा

श्री अशोक साहू, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री श्रीचंद सुंदरानी
2. श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स
3. श्रीमती केराबाई मनहर
4. श्री केशव चन्द्रा
5. डॉ. प्रीतम राम
6. श्री भैयाराम सिन्हा
7. श्री संतराम नेताम

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. डॉ. खिलावन साहू
2. श्री रोहित कुमार साय
3. श्री श्रवण मरकाम
4. श्री अशोक साहू
5. श्री रामदयाल उईके
6. श्री गुरूमुख सिंह होरा
7. श्री बघेल लखेश्वर

डॉ. खिलावन साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
2. श्री भोजराज नाग

3. श्री संतोष उपाध्याय
4. श्री रोशनलाल
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री जयसिंह अग्रवाल
7. श्री मोहन मरकाम

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री संतोष बाफना
2. श्री देवजी भाई पटेल
3. श्री रोशनलाल
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री भूपेश बघेल
6. श्री सत्यनारायण शर्मा
7. श्री कवासी लखमा

श्री संतोष बाफना, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री राजशरण भगत
2. श्री विद्‌यारतन भसीन
3. श्री जयसिंह अग्रवाल
4. श्री भैयाराम सिन्हा
5. श्री मोहन मरकाम

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि और विधायी कार्य मंत्री इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री अवधेश सिंह चंदेल
2. श्री युद्धवीर सिंह जूदेव

3. श्री रोशनलाल
4. श्री नवीन मारकण्डेय
5. श्री संतोष बाफना
6. श्री अमरजीत भगत
7. श्री दिलीप लहरिया
8. श्री धनेन्द्र साहू
9. श्री कवासी लखमा

श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

1. श्री रोहित कुमार साय
2. श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स
3. श्री श्रवण मरकाम
4. श्री भोजराज नाग
5. श्री चिन्तामणी महाराज
6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्री दीपक बैज

श्री रोहित कुमार साय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
2. श्री संतोष बाफना
3. श्री राजशरण भगत
4. श्री अवधेश सिंह चंदेल
5. श्री जयसिंह अग्रवाल
6. श्री जनकराम वर्मा
7. श्री मनोज सिंह मण्डावी

श्री श्यामबिहारी जायसवाल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री नवीन मारकण्डेय
2. श्री संतोष उपाध्याय
3. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री जनकराम वर्मा
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्री दीपक बैज

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

1. श्रीमती सरोजनी बंजारे
2. डॉ. खिलावन साहू
3. श्रीमती केराबाई मनहर
4. श्री भोजराज नाग
5. डॉ. सनम जांगड़े
6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्रीमती अनिला भेंड़िया
8. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
9. श्रीमती देवती कर्मा

श्रीमती सरोजनी बंजारे, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री संतोष बाफना
3. श्री शिवरतन शर्मा
4. श्री खेलसाय सिंह
5. श्री रामदयाल उईके
6. श्री गुरूमुख सिंह होरा

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

19. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2018-2019 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूँ:-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
3. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, विधान सभा
5. श्री शिवरतन शर्मा
6. श्री देवजी भाई पटेल
7. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
8. डॉ. खिलावन साहू
9. श्री श्रीचंद सुन्दरानी
10. श्री अशोक साहू
11. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
12. श्री संतोष बाफना
13. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
14. श्री रोहित कुमार साय
15. श्री अवधेश सिंह चंदेल
16. श्री नवीन मारकण्डेय
17. श्रीमती सरोजनी बंजारे
18. श्री सत्यनारायण शर्मा
19. श्री धनेन्द्र साहू

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

20. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधान सभा के पन्द्रहवें सत्र के समापन अवसर पर सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एवं आप सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

चतुर्थ विधान सभा के कार्यकाल का यह अंतिम बजट सत्र था । इस दृष्टि से यह सत्र छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए सरकार के संकल्प को सुदृढ़ करने वाला सत्र रहा । इस सत्र में राज्य से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर सारगर्भित, सार्थक चर्चा हुई। यह सत्र दिनांक 5 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी 2018 के मध्य आहूत था। आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए आप माननीय सदस्यों के अनुरोध पर एक दिवस पूर्व आज दिनांक 27 फरवरी 2018 को इस सत्र का समापन हो रहा है ।

आज के इस अवसर पर मैं एक विशेष बात यह कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे विधान सभा के दायित्वों के निर्वहन में जो सकारात्मक सहयोग, मार्गदर्शन और स्नेह दिया है । मैं इसके लिये अपनी कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त कर पाने में असमर्थ पाता हूँ । सच पूछिए तो चतुर्थ विधान सभा के गठन से लेकर आज तक का जो सफर रहा है वह इतनी जल्दी निकल गया कि यकीन ही नहीं होता कि इस चतुर्थ विधान सभा का कार्यकाल अतिशीघ्र पूर्ण होने जा रहा है । वस्तुतः जब भी किसी संस्था में परस्पर सौहार्द, समन्वय और सामंजस्य का भाव विद्यमान होता है तो कालचक्र तेजी से घूमने लगता है। हमें पता ही नहीं चलता और वक्त गुजर जाता है।

मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की चतुर्थ विधान सभा संसदीय मूल्यों के संरक्षण और परंपराओं के परिपालन में एक आदर्श प्रस्तुत करने में सफल रही है। इस सदन में प्रत्येक सदस्य ने उन्हें प्रदत्त भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी इस वचनबद्धता का मैं सम्मान करता हूँ । यह सदन पक्ष प्रतिपक्ष के भावों से ऊपर रहा है, न केवल प्रतिपक्ष के अपितु पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कतिपय अवसरों पर जिस संजीदगी से सरकार के कार्यों की समीक्षा, आलोचना की और सुझाव दिए, वे सभी बिन्दु भविष्य के लिए नजीर होंगे । आप माननीय सदस्यों की यह सजगता और संवेदनशीलता सदैव बनी रहे और आप लोक कल्याण के प्रति और अधिक समर्पण के साथ कार्य कर पाने में सफल हों यह मेरी आप सभी के प्रति शुभेच्छा है।

इस सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और इसकी प्राथमिकताओं पर केन्द्रित अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर आप समस्त माननीय सदस्यों ने चर्चा के विभिन्न माध्यमों से अपनी बात कही। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, वन सहित सभी विषयों पर विभागवार आपने चर्चा की,

प्रतिपक्ष की मैं विशेष रूप से सराहना करना चाहूंगा कि आपने सरकार को लोकहित से जुड़े लगभग प्रत्येक विषय पर उत्तर देने हेतु बाध्य किया और मैं समझता हूं कि यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की सफलता है।

इस सत्र में आज सदन में उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की गई । वर्ष 2017 के लिए चयनित उत्कृष्ट विधायक, पक्ष से श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, प्रतिपक्ष से श्री मोहन मरकाम तथा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार नई दुनिया के श्री संजीत कुमार, उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर स्वराज एक्सप्रेस के श्री आशीष तिवारी एवं कैमरामेन श्री प्रकाश सिंह यादव को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ ।

माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा को चतुर्थ विधान सभा के ''जागरूक विधायक'' के रूप में चयनित किया गया । मैं पुरस्कृत सभी जनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यथा समय गरिमामय समारोह में ये पुरस्कार प्रदत्त किये जाएंगे ।

इस सत्र में माननीय सदस्यों के लिये स्वास्थ्य शिविर दिनांक 20 फरवरी से 22 फरवरी 2018 तक आयोजित हुआ । इसका आप सभी माननीय सदस्यों ने लाभ लिया । इस हेतु मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

इस सत्र में दिनांक 26 फरवरी 2018 को प्रसिद्ध फिल्म कलाकार शरमन जोशी ने अपने हास्य नाटक ''राजू राजा राम और मैं'' की शानदार प्रस्तुति दी। उन्होंने अपने जीवंत अभिनय से नाटक के सभी पात्रों में प्रभावित किया। आज 27 फरवरी को सत्रावसान के बाद विधान सभा परिसर स्थित सेन्ट्रल लॉन में ''होली मिलन'' का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है । इस अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन और फाग का कार्यक्रम रखा गया है । आप सभी से मेरा यह अनुरोध है कि इस रंग, उमंग के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में अवश्य रूप से अपनी उपस्थिति देवें ।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र की कुल 16 बैठकों में लगभग 92 घंटे 51 मिनिट चर्चा हुई। प्रश्नकाल में 144 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 11 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 1352 एवं अतारांकित प्रश्नों की 1318 सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 2670 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 431 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 66 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 24 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई, 39 सूचनाएं नियम 267-क में परिवर्तित हुई। इस सत्र में स्थगन की कुल 232 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से एक विषय से संबंधित 32 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अग्राह्य किया गया तथा 30 सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के रूप में परिवर्तित किया गया । शून्यकाल की 148 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 80 सूचनाएं ग्राह्य और 68 सूचनाएं अग्राह्य रही। वर्तमान सत्र में 60 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 5 ग्राह्य व 55 अग्राह्य रही। 10 अशासकीय

संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये। इस सत्र में 5 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिन पर चर्चा हुई एवं सभी पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत चतुर्थ अनुपूरक अनुमान पर 2 घंटे 47 मिनट, वर्ष 2018-19 के बजट की अनुदान मांगों पर 41 घंटे 11 मिनट, विनियोग विधेयक पर 5 घंटे 5 मिनट तथा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 07 घंटे 40 मिनट चर्चा हुई।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को भिज्ञ कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं, स्कूल/कॉलेज के छात्र/छात्राओं लगभग 3887 लोगों ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया तथा 16813 नागरिकों ने भी विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया एवं 14200 व्यक्तियों ने विधान सभा का भ्रमण किया। जैसा कि आप सबको विदित है कि ''हमर छत्तीसगढ़'' योजना जो जुलाई 2016 से आरंभ हुई है और जिसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना के तहत राज्य की पंचायतीराज व्यवस्था के जनप्रतिनिधिगणों एवं सहकारिता प्रतिनिधि राजधानी रायपुर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। इस सत्र में ''हमर छत्तीसगढ़'' योजना के तहत 5253 कुल जनप्रतिनिधियों ने विधान सभा का भ्रमण किया।

विधान सभा की वेबसाईट का 22500 विजिटर्स ने अवलोकन किया एवं एक लाख 27 हजार 994 पेज देखे गये । पुस्तकालय एवं संदर्भ शाखा से 70 संदर्भ माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये गये ।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिये मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्री गणों तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। रायपुर दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया।

सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के नवनियुक्त मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा का आगामी सत्र जो पावस सत्र होगा, जो चतुर्थ विधान सभा के कार्यकाल का अंतिम सत्र होगा ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती रही है। तद्नुसार आगामी सत्र अगस्त माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में संभावित है। आप सभी को रंगोत्सव, होली 2018 की शुभकामनाएं । कामना करता हूॅ कि आप सभी का जीवन सुख-सफलता एवं समृद्धि के रंगों से सदैव रंगा रहे । प्रदेश के समस्त नागरिकगणों को भी मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूॅ।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए एवं प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी।

21. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

अपराहन 2.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा